सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

बैठासीन अधिकारी– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रकरण सं0 09/2019 प्रार्थना पत्र 14(4)
1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा।

...प्रार्थी

बनाम

1. किशनसिंह, मानसिंह पिता बदरीनारायण जाति गुर्जर निवासी खैरवाल तहसील दौसा

. . अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवंटन नियम 1970

उपस्थिति–1. श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
2. श्री योगेश जाखड़ अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम10

निर्णय

दिनांक: 26.8.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आवंटिती/गैरखातेदार श्री किशनसिंह, मानसिंह पुत्र बदरीनारायण जाति गुर्जर निवासी खैरवाल तहसील दौसा को ग्राम खैरवाल स्थित भूमि खसरा नम्बर 1047/1 रकबा 0.02 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह का आवंटन/नियमन होने पर जरिये नामांतरकरण सं0 155 दिनांक 04.2.1998 द्वारा गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई। गैर खातेदारान ने आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर भूमि उपयोग में नहीं ली है। गैर खातेदार द्वारा भूमि कब्जे/अधिकार में नहीं ले रखी है। इस प्रकार आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। इसलिये आवंटिती/गैरखातेदारान के विरूद्ध भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाकर भूमि बहक सरकार घोषित करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण कैलाश चन्द, गजानन्द पिसरान रघुवीरसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाल तहसील दौसा वगैरा की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया। श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत विड्रॉ करने वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थीगण को बार–बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए।

राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1047 जिसके आवंटन के विरूद्ध तहसीलदार दौसा द्वारा अप्रार्थी किशनसिंह, मानसिंह पुत्रान बद्रीनाराया जाति गुर्जर निवासी खैरवाल के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया गया है, उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील प्रार्थीगण के पिता रघुवीर पुत्र रामप्रताप निवासी खैरवाल द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के समक्ष पेश की गई थी। जिसमें न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.4.2005 द्वारा आवंटन आदेश निरस्त फरमा दिया

गया था। आवंटन आदेश के आधार पर जो नामांतरकरण खोला गया था उसे न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.4.2007 के द्वारा खारिज किया जा चुका है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा है इसलिये प्रार्थी को उक्त प्रकरण में अपना पक्ष रखने एवं सही व वास्तविक वस्तुस्थिति रिकॉर्ड पर लाने हेतु बतौर पक्षकार प्रतिस्थापित फरमाने की कृपा करें।

जवाब बहस में राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रश्नगत आवंटित भूमि आवंटिती को चाह निर्माण हेतु आवंटित की गई थी किन्तु आवंटिती द्वारा चाह निर्माण नहीं किया जाकर आवंटन आदेश की शर्त की पालना नहीं की गई है। इसलिये आवंटित भूमि को पुनः बहक सरकार दर्ज फरमाने के आदेश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत किया गया है। आवंटिती द्वारा मौके पर चाह निर्माण नहीं किये जाने की पुष्टि मौका कमिश्नर उप जिला कलक्टर दौसा की रिपोर्ट दिनांक 16.8.2019 के द्वारा होती है जो पत्रावली में संलग्न है। अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया है कि विवादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित आवंटन आदेश दिनांक 2.1.98 एवं आवंटन आदेश के आधार पर खोला गया नामांतरकरण सं0 155 दिनांक 4.2.98 खारिज किये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण इस न्यायालय द्वारा क्या रिलीफ चाहते हैं इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रकरण में तहसीलदार दौसा द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) के साथ जिस आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसकी प्रति संलग्न प्रस्तुत नहीं की गई है बल्कि उप जिला कलक्टर दौसा के आवंटन आदेश दिनांक 2.1.98 के आधार पर आवंटिती के हक में खोले गये नामांतरकरण संख्या 155 दिनांक 4.2.98 की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 द्वारा प्रस्तुत न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय दिनांक 07.4.2005 की प्रति के अनुसार उप जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 2.1.98 को खारिज किया जाकर पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है। इसके पश्चात नामांतकरण सं0 155 दिनांक 4.2.08 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.4.2007 के द्वारा उक्त नामांतरकरण खारिज किया जा चुका है। तहसीलदार दौसा द्वारा न्यायालय आर0ए0ए0 एवं न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा के निर्णय के संदर्भ में राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 को इस न्यायालय से कोई रिलीफ दिया जाना एवं प्रकरण इस न्यायालय में चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 एवं तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) भू आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाकर तहसीलदार दौसा को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण का परीक्षण कर विधि अनुरूप अपेक्षित अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावर्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति प्रतिष्ट लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 26 अगस्त 2019 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा